कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 273/2026 **दिनांक- 13.07.2026**

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक : 14 जुलाई, 2026

थाना : कोतवाली, जनपद : आजमगढ़

पुलिस मुठभेड़ में अन्तरजनपदीय ठग/चोर गैंग के दो सदस्य गिरफ्तार, एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल

पुलिस टीम पर फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई, तमंचा, कारतूस एवं चोरी की मोटरसाइकिल बरामद, दोनों अभियुक्तों पर चोरी, ठगी, आर्म्स एक्ट एवं गैंगस्टर सहित कई संगीन मुकदमे दर्ज

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ **डॉ. अनिल कुमार** के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई। दिनांक **13 जुलाई, 2026** की देर रात्रि थाना कोतवाली पुलिस एवं अन्तरजनपदीय ठग/चोर गैंग के सदस्यों के मध्य हुई पुलिस मुठभेड़ में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें एक अभियुक्त पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से घायल हो गया। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया है।

पूर्व की घटना का विवरण :–

दिनांक **05.07.2026** को वादी **देवदत्त गोंड** पुत्र **हंसराज गोंड**, निवासी ग्राम **आजमपुर**, थाना **कंधरापुर**, जनपद **आजमगढ़** द्वारा सूचना दी गई कि वह समय लगभग **02:00 बजे** अपनी **सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल संख्या UP50 CE 2374** से मेडिकल परीक्षण हेतु सदर अस्पताल, आजमगढ़ आया था। उसने अपनी मोटरसाइकिल अस्पताल की इमरजेंसी के सामने स्थित पानी की टंकी के पास खड़ी कर अस्पताल के अंदर चला गया। लगभग **03:15 बजे** वापस लौटने पर उसकी मोटरसाइकिल मौके से गायब मिली। वादी द्वारा काफी खोजबीन किए जाने के बावजूद मोटरसाइकिल का कोई पता नहीं चल सका। उक्त सूचना के संबंध में थाना **कोतवाली, जनपद आजमगढ़** पर वादी की तहरीर के आधार पर **मु0अ0सं0 364/2026**, धारा **303(2) बीएनएस** के अंतर्गत दिनांक **08.07.2026** को अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

पुलिस मुठभेड़ का विवरण-

प्रभारी निरीक्षक **यादवेन्द्र पाण्डेय** को सूचना प्राप्त हुई कि दो संदिग्ध अपराधी एक मोटरसाइकिल से अवैध असलहा लेकर **बाग लखराव पुलिया** के रास्ते शहर की ओर किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में आ रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी की गई। पुलिस को देखकर दोनों बदमाशों ने स्वयं को घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में **राजेश यादव** पुत्र महेन्द्र यादव, निवासी शंकरपुर, थाना दुल्लहपुर, जनपद गाजीपुर, उम्र 24 वर्ष के दाहिने पैर में गोली लगी, जबकि उसका साथी **विजय यादव** पुत्र हरिराम, निवासी केशरवां, थाना दुल्लहपुर, जनपद गाजीपुर, उम्र 36 वर्ष भागने का प्रयास करते हुए पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर **रात्रि लगभग 23:40 बजे** गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार

अभियुक्तों के कब्जे से 01 अदद तमंचा .315 बोर, 01 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस .315 बोर व चोरी का 01 स्प्लेण्डर प्लस मोटरसाइकिल बरामद किया गया।

गिरफ्तार/घायल अभियुक्त-

1. **राजेश यादव** पुत्र महेन्द्र यादव, निवासी शंकरपुर, थाना दुल्लहपुर, जनपद गाजीपुर, उम्र 24 वर्ष (घायल/गिरफ्तार)
2. **विजय यादव** पुत्र हरिराम, निवासी केशरवां, थाना दुल्लहपुर, जनपद गाजीपुर, उम्र 36 वर्ष (गिरफ्तार)

बरामदगी का विवरणः-

- 01 अदद तमंचा .315 बोर
- 01 अदद जीवित कारतूस .315 बोर
- 01 अदद खोखा कारतूस .315 बोर
- 01 स्प्लेण्डर प्लस मोटरसाइकिल (काला रंग) नं. **UP65U8470**

आपराधिक इतिहास-

घायल अभियुक्त **राजेश यादव** के विरुद्ध गाजीपुर, मिर्जापुर, मऊ एवं आजमगढ़ जनपदों में चोरी, ठगी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट एवं गैंगस्टर एक्ट सहित **17 अभियोग** पंजीकृत हैं। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त **विजय यादव** के विरुद्ध थाना कोतवाली आजमगढ़ में दर्ज प्रकरणों में विधिक कार्यवाही की जा रही है।

राजेश यादव के विरुद्ध पूर्व में दर्ज अभियोग–

1. मु0अ0सं0 54/2020 धारा 379/411/420 भादवि थाना जमालपुर मिर्जापुर
2. मु0अ0सं0 85/2021 धारा 379/411 भादवि थाना दुल्लहपुर गाजीपुर
3. मु0अ0सं0 86/2021 धारा 379/411 भादवि थाना दुल्लहपुर गाजीपुर
4. मु0अ0सं0 87/2021 धारा 411/413/414/419/420/467/468/471 भादवि थाना दुल्लहपुर गाजीपुर
5. मु0अ0सं0 184/2021 धारा 379/411 भादवि थाना कासिमाबाद गाजीपुर
6. मु0अ0सं0 16/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दुल्लहपुर गाजीपुर
7. मु0अ0सं0 18/2022 धारा 411/419/420 भादवि थाना दुल्लहपुर गाजीपुर
8. मु0अ0सं0 87/2022 धारा 3(1)उ0प्र0 गैंगेस्टर अधि0 थाना दुल्लहपुर गाजीपुर
9. मु0अ0सं0 461/2022 धारा 379/411 भादवि थाना जहांनागंज आजमगढ़
10. मु0अ0सं0 428/2023 धारा 379 भादवि थाना सरायलखंशी मऊ
11. मु0अ0सं0 577/2023 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली गाजीपुर
12. मु0अ0सं0 601/2023 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली गाजीपुर
13. मु0अ0सं0 10/2024 धारा 34/411/413/414/419/420 भादवि थाना कोतवाली गाजीपुर
14. मु0अ0सं0 12/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली गाजीपुर
15. मु0अ0सं0 364/2025 धारा 303(2)/317(2)/317(4)/336(3)/338/340(2) बीएनएस थाना सरायलखंशी मऊ
16. मु0अ0सं0 364/26 धारा 303(2)/317(2)/317(4)/318(4)/338/336(3)/340(2)/3(5) BNS थाना कोतवाली आजमगढ़
17. मु0अ0सं0 375/26 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली आजमगढ़

विजय यादव पुत्र हरिराम निवासी केशरवां थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर

1. मु0अ0सं0 364/26 धारा 303(2)/317(2)/317(4)/318(4)/338/336(3)/340(2)/3(5) BNS थाना कोतवाली आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 375/26 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ पर मु0अ0सं0 **375/2026** धारा **109(1) बीएनएस एवं 3/25 आर्म्स एक्ट** सहित अन्य सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

मुठभेड़/गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- प्रभारी निरीक्षक **यादवेन्द्र पाण्डेय**, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
- उ0नि0 **सौरभ त्रिपाठी**, चौकी प्रभारी रोडवेज, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
- उ0नि0 **मिथिलेश प्रजापति**, चौकी प्रभारी बलरामपुर, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
- उ0नि0 **उदयशंकर तिवारी**, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
- उ0नि0 **रामकिशोर शर्मा**, चौकी प्रभारी ब्रह्मस्थान, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
- रि0कां0 **सचिन कुमार मिश्रा** , थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
- रि0कां0 **मनीष सिंह**, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
- रि0म0कां0 **प्रियंका सिंह**, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
- कां0 **आदित्य कुमार**, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
- रि0कां0 **हिमांशु मिश्रा**, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
- रि0कां0 **अवधेश सिंह** , थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
- कां0 **सुमित कुमार** , थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
- रि0कां0 **राहुल पाण्डेय** , थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
- रि0कां0 **अम्बरदीप यादव** , थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

उत्तर प्रदेश पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

थाना – सरायमीर, जनपद – आजमगढ़
दिनांक – 14 जुलाई, 2026

गोकशी की सूचना पर त्वरित कार्रवाई के दौरान थाना सरायमीर पुलिस एवं बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस पर फायरिंग करने वाला एक अभियुक्त घायल सहित तीन अभियुक्त गिरफ्तार

अवैध तमंचा, कारतूस, गोकशी में प्रयुक्त ठीहा, चापड़, चाकू एवं 23.700 किलोग्राम गोवंशीय मांस बरामद, एक अन्य अभियुक्त की तलाश जारी

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ **डॉ. अनिल कुमार** के निर्देशन में अपराध एवं गोवध/गो-तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सरायमीर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। डायल-112 से प्राप्त सूचना पर पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गोकशी कर गोमांस ले जा रहे अभियुक्तों की घेराबंदी की। स्वयं को पुलिस से घिरा देख अभियुक्तों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त घायल हो गया तथा 02 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया।

मुठभेड़ का विवरण :–

दिनांक **14.07.2026** को थाना सरायमीर पुलिस को डायल-112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि **खासडीह बरईपुर बड़ी नहर** के पास कुछ व्यक्ति गोवंश का वध कर उसका मांस बिक्री हेतु ले जा रहे हैं। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक भुवनेश कुमार चौबे के नेतृत्व में पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुँची तथा घेराबंदी की गई। पुलिस टीम को देखकर तीनों अभियुक्त अपने कंधों पर रखी बोरियां छोड़कर भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा पीछा कर उन्हें घेरने का प्रयास किया गया। इसी दौरान एक अभियुक्त **मेराज उर्फ साजिद खान** ने अवैध तमंचा निकालकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस द्वारा कई बार आत्मसमर्पण की चेतावनी दिए जाने के बावजूद अभियुक्त पुनः फायरिंग करने का प्रयास करने लगा। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। घायल अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में तत्काल उपचार हेतु सीएचसी खरेवा/फूलपुर भेजा गया। वहीं पुलिस टीम द्वारा पीछा कर उसके दो अन्य साथियों को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।

घायल/गिरफ्तार अभियुक्त :–

1. **मेराज उर्फ साजिद खान** पुत्र मो. आजाद खान, निवासी **हाजीपुर गोधना**, थाना **पवई**, जनपद **आजमगढ़**, उम्र लगभग 23 वर्ष (घायल/गिरफ्तार)
2. **गालिब** पुत्र फैजान, निवासी **खासडीह बरईपुर**, थाना **सरायमीर**, जनपद **आजमगढ़**, उम्र लगभग 24 वर्ष (गिरफ्तार)
3. **शहजाद** पुत्र फैय्याज, निवासी **खासडीह बरईपुर**, थाना **सरायमीर**, जनपद **आजमगढ़**, उम्र लगभग 27 वर्ष (गिरफ्तार)

पूछताछ का विवरण :–

पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वे अपने एक अन्य साथी **अरहम पुत्र फैजान** के साथ मिलकर बड़ी नहर के किनारे सुनसान स्थान पर गोवंश का वध करते थे। प्रतिबंधित पशु का मांस बोरियों में भरकर आसपास के गांवों में बिक्री के लिए ले जाया जाता था। पुलिस टीम को देखकर गिरफ्तारी से बचने के उद्देश्य से मेराज उर्फ साजिद ने पुलिस पर फायरिंग की, जबकि अन्य अभियुक्त भागने लगे, जिन्हें पुलिस टीम द्वारा पीछा कर गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तों की निशानदेही पर घटनास्थल से प्रतिबंधित पशुओं के वध में प्रयुक्त उपकरण तथा गोवंशीय मांस बरामद किया गया। पशु चिकित्साधिकारी द्वारा निरीक्षण के उपरांत बरामद मांस को प्रथम दृष्टया प्रतिबंधित पशुओं का मांस होना प्रमाणित किया गया तथा विधिक प्रक्रिया के अनुसार नमूने सुरक्षित कराए गए।

बरामदगी :–

- 01 अदद तमंचा .315 बोर
- 01 अदद जीवित कारतूस .315 बोर
- 01 अदद खोखा कारतूस .315 बोर
- 01 अदद लकड़ी का ठीहा
- 04 अदद चाकू
- 02 अदद चापड़
- **23.700 किलोग्राम गोवंशीय मांस**

पंजीकृत अभियोग :–

अभियुक्त **मेराज उर्फ साजिद खान** के विरुद्ध धारा **109(1) बीएनएस**, **3/25 आयुध अधिनियम** एवं **3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध **3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम** के अंतर्गत आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

गिरफ्तारी/मुठभेड़ करने वाली पुलिस टीम :–

- प्रभारी निरीक्षक **भुवनेश कुमार चौबे, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ ।**
- उ0नि0 **पंकज यादव, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ ।**
- उ0नि0 **धीरज कुमार, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ ।**
- हे0का0 **अम्बुज तिवारी, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ ।**
- हे0का0 **अंकुल सिंह यादव, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ ।**
- का0 **शुभम मिश्रा, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ ।**
- का0 **सौरभ पाण्डेय, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ ।**
- रि0का0 **किशन कुमार, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ ।**
- रि0का0 **अंशु कुमार दीक्षित, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ ।**
- रि0का0 **शैलेश कुमार कुशवाहा, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ ।**
- रि0का0 **सूरज पाण्डेय, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ ।**
- रि0का0 **प्रियांशु कुमार, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ ।**
- रि0का0 **अंकित सिंह, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ ।**
- म0का0 **प्रियंका प्रजापति, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ ।**

उत्तर प्रदेश पुलिस